संख्या-08/2018/71ई-2/तेरह-2018-159/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 जनवरी,2018

विषय:- शीरा वर्ष 2017-18 के लिये नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-54/दस-185(1)/ शीरा नीति/2017-18, दि0 25-9-2017 तथा पत्र संख्या-जी-89/दस-185(1)/शीरा नीति/2017-18, दिनांक 03 जनवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु प्रदेश में 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2016-17 में 43 चीनी मिलें बन्द रही हैं एवं 115 चीनी मिलें चालू रहीं। शीरा वर्ष 2016-17 में दिनांक-31.10.2017 तक हुए शीरा उत्पादन के अनुसार 455.00 लाख कुन्टल का सम्भावित उत्पादन आगणित होता है। आबकारी राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है, अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2016-17 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए उत्पादन का 20 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था। शीरा वर्ष 2017-18 (01 नवम्बर 17 से 31 अक्टूबर, 18 तक) के लिए आरक्षित शीरे की आवश्यकता लगभग 56 लाख कुन्टल आंकलित होती है। समूह की चीनी मिल/मिलों से उक्त समूह की आसवनी/आसवनियों को आन्तरित/सम्भरित शीरे को समूह का स्वयं का उपभोग माना जायेगा। बाहर से क्रय/सम्भरित किये गये शीरे को अभी तक स्वयं का उपभोग नहीं माना गया है। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में स्वयं का उपभोग क्रमशः 201.49, 205.58, 200.99 व 193.69 लाख कुन्टल रहा है। आगामी सत्र में अधिक उत्पादन सम्भावित है। उत्पादन की वृद्धि के दृष्टिगत शीरा वर्ष 2017-18 में कैप्टिव उपभोग में वृद्धि सम्भावित है। समूह की चीनी मिलों से इतर की चीनी मिलों से क्रय/सम्भरित/उपभोग किये गये शीरे को समूह का स्वयं का उपभोग नहीं माना जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता [illegible]

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा सत्र 2017-18 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में शीरा परामर्श समिति की दि0 08-09-2017 को सम्पन्न बैठक में दिये गये सुझाव के आलोक में आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2017-18 के लिये शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा शीरा वर्ष 2017-18 में उत्पादित शीरे का 12 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा ऐसी चीनी मिलों, जिनकी प्रदेश में अपनी आसवनियां स्थापित हैं, उनमें शीरा सत्र 2017-18 में उत्पादित शीरे की मात्रा पर आरक्षण निम्नवत् लागू किया जायेगा:-

(I) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (**Balance Stock**) आरक्षित (12 प्रतिशत के अनुसार) मात्रा से अधिक होगा, उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दि0 24-9-2007 के प्रस्तर-47 के तहत शीरा वर्ष के प्रारम्भ से ही आरक्षित शीरे की देयता निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप होगी, क्योंकि इससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2016-17 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं होगी।

(ii) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (**Balance Stock**) आरक्षण की मात्रा से कम होगा, उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के तहत आरक्षण शीरा सत्र के प्रारम्भ से लागू होगा तथा आरक्षण की मात्रा उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा तक सीमित रहेगी, जिससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2016-17 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं होगी।

(iii) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (**Balance Stock**) नहीं होगा अर्थात् उनकी शीरे की कुल उपलब्धता से अधिक उनका स्वयं का शीरे का उपभोग (शीरा वर्ष 2016-17 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) है उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के अन्तर्गत आरक्षण नहीं होगा।

(iv) यदि कोई आसवनी, आसवक द्वारा अपने स्तर से की गयी बन्दी के अतिरिक्त, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शीरा वर्ष 2016-17 में अत्याधिक समय तक बन्द रही है तो ऐसी स्थिति में उस आसवनी का शीरा वर्ष 2017-18 में स्वयं का उपभोग विगत 3 शीरा वर्षों (2014-15, 2015-16 व 2016-17) के वास्तविक उपभोग के औसत के समतुल्य माना जायेगा।

(v) यदि किसी आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता में नियमानुसार कोई वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी बढ़ी हुई अधिष्ठपित क्षमता पर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से, आसवनी द्वारा विगत 03 वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष औसतन जितने प्रतिशत उत्पादन किया गया है, नवीन स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता के उतने प्रतिशत तक उत्पादन मानकर तद्नुरूप कैप्टिव उपभोग शीरा वर्ष 2017-18 के लिये अनुमन्य होगा। ऐसी औसतन क्षमता की गणना में समूह के बाहर से क्रय किये गये शीरे के उपयोग को नहीं जोड़ा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://sha

(vi) यदि किसी चीनी मिल/मिलों की नवीन सह आसवनी/आसवनियाँ अधिष्ठापित होती हैं तो ऐसी आसवनी/आसवनियों को सह चीनी मिल/मिलों से शीरा सम्भरण की अनुमति एक-एक माह के उपभोग के आधार पर प्रदान की जायेगी।

(vii) सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

(viii) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मॉग कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत करनी होगी तथा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) जिन चीनी मिल/समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2016-17 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है वे चीनी मिलें/समूह सर्वप्रथम उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

(x) आरक्षण का प्रतिशत शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत कभी भी बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित किया जाता है कि समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी मदिरा की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(3) शीरा वर्ष 2016-17 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपने इस अवशेष को अनिवार्य रूप से माह अप्रैल 2018 तक शून्य करना होगा।

(4) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(5) ऐसी चीनी मिलें, जिनकी अपनी सह आसवनी हैं एवं उनकी आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है, सर्वप्रथम शीरा सत्र की समाप्ति पर अवशेष आरक्षित शीरे एवं वर्ष में उत्पादित शीरे के 12 प्रतिशत तक शीरे का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा उक्त मात्रा के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है, तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आसवनी द्वारा आवेदन करने पर पैराई कार्य की समाप्ति के उपरान्त शीरा उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए की गयी देशी मदिरा की आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://...

विचार किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था विगत कई वर्षों से रही है, जिसे वर्ष 2017-18 के लिये भी यथावत बनाये रखा जाता है।

(6) आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपातः-

शीरा वर्ष 2017-18 में उपलब्ध शीरे का कुल 12 प्रतिशत आरक्षित किया जाता है। ऐसी स्थिति में निकासी अनुपात 1:7.3 बनता है। देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्रतिमाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आरक्षित शीरे की निर्बाध उपलब्धता बनाये रखने हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के सम्बन्ध निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः-

(i) वर्ष 2016-17 का अवशेष आरक्षित शीरा अग्रेनीत किया गया है। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2016-17 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल/स्वयं के उपभोग हेतु इस शर्त के साथ परिवर्तित किया जाना अनुमन्य किया जाता है कि चीनी मिलें उक्त मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2017-18 के अनारक्षित अंश से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2017-18 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाता है कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28.02.2018 को उस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2017-18 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2017-18 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

(ii) शीरा वर्ष 2017-18 में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता एवं चीनी मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता के कारण शीरा संचय की समस्या के दृष्टिगत चीनी मिलों में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निर्धारित निकासी के अनुपात को समाप्त करते हुए आरक्षित शीरे की मात्रा को रोककर अनारक्षित शीरे की निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इस व्यवस्था के कारण चीनी मिलों द्वारा भविष्य में देशी मदिरा हेतु आरक्षित शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो यह व्यवस्था तत्काल समाप्त कर पुनः आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य 1:7.3 के निकासी अनुपात की व्यवस्था लागू कर दी जायेगी।

(iii) प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 7 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा किन्तु पैराई सत्र चालू रहने के दौरान (माह नवम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक) शीरे की ओवरफ्लो की स्थिति से बचने हेतु चीनी मिलों को सुविधा प्रदान करने के लिए शीरा वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक इस शर्त में शिथिलता देने का अधिकार शीरा नियंत्रक को होगा। माह जून, 2018 तथा माह अगस्त,2018 तक कुल देयता का क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://...

(iv) उपरोक्त आरक्षण प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा:-

(a) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक टेण्डर आमंत्रित करेगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार रखने वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी। प्रकाशित किये जाने वाले टेण्डर को ऑनलाइन शीरा सम्भरण पोर्टल पर भी अपलोड कराना आवश्यक होगा।

(b) यदि मिल द्वारा दिये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई आफर/प्रस्ताव ऐसे आसवनी से प्राप्त नहीं होता है जो देशी मदिरा उत्पादन करती हैं तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (विहित निकासी अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 12 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्रीसेल शीरे की मात्रा जो पिछले माह न बिकी हो को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी।

(c) आगामी माहों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (12 प्रतिशत) की गणना उपर्युक्त बिन्दु-**(b)** के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के पश्चात् किया जायेगा।

(v) चीनी मिलों के लिए देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुए तद्नुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त रखना सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है। देशी मदिरा उत्पादक आसवनियां चीनी मिल से क्रय किये गये आरक्षित शीरे का 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित करेंगी।

(7) देशी मदिरा निर्माण हेतु आपूर्ति की गयी ई0एन0ए0 के समतुल्य ई0एन0ए0 आपूर्तक <u>आसवनियों को आरक्षित शीरे का आवंटन</u>:-

यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्यौगिक आसवनी से ई0एन0ए0 देशी मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई0एन0ए0 **(Extra Neutral Alcohol)** आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी ई0एन0ए0 की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh...

ई0एन0ए0 प्राप्त करने वाली आसवनी को आवंटित आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित कर शीरा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था शीरा नीति वर्ष 2017-18 में की जाती है।

(8) अन्य राज्यों को शीरे का निर्यात/आयातः-

प्रदेश के बाहर शीरा निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति के उपरान्त मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदक द्वारा आयातक राज्य से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर शीरा उठान हेतु अनापत्ति शीरा नियंत्रक से प्राप्त की जाती है। शीरा निर्यात हेतु उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दिये जाने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये शीरा निर्यात की ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जाएगी। इस सन्दर्भ में शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव-संयोजक

समिति द्वारा शीरा निर्यात करने वाली चीनी मिलों के सम्बन्ध में यह देखा जाना आवश्यक होगा कि चीनी मिलों की कैप्टिव आसवनियों में शीरे की आवश्यकता कितनी है तथा उसकी आपूर्ति कैप्टिव चीनी मिलों से करने के पश्चात् क्या उनके पास निर्यात हेतु शीरा उपलब्ध है।

शीरा नीति वर्ष 2017-18 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9) अन्य राष्ट्रों से शीरे का आयात/निर्यातः-

शीरा वर्ष 2017-18 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

(10) शीरे पर प्रशासनिक शुल्कः-

शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए तथा देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/- प्रति कुण्टल एवं प्रदेश के बाहर निर्यात पर तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0-15/- प्रति कुन्टल रखा जाता है।

(11) शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरणः-

शीरा वर्ष 2017-18 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त किया जाना होगा।

(12) खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रणः-

खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील सं0-4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में वर्ष 2017-18 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा।

(13) शीरे के उठान पर नियंत्रण:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का उठान ऑनलाइन शीरा सम्भरण पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने की व्यवस्था लागू रहेगी। इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल **www.upexciseonline.in** पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी0एस0टी0एन0 का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के नियम-6 के अन्तर्गत उक्त नियमावली की धारा-4 व 5 के उपबन्ध उ0प्र0 के आसवनियों के स्वामियों पर आसवन के प्रयोजनों के लिए चीनी मिलों द्वारा सम्भरित शीरे के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें। चूँकि वर्तमान में शीरे के स्टोरेज व स्टाक के विवरण की समस्त सूचनायें ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अतः समस्त आसवनियों में भी शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी/स्टाक की समस्त सूचनायें भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही तथा समस्त आसवनियों में शीरे व इससे उत्पादित होने वाले अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों का वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकार्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किया जाए। इससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा इन्सपेक्टर राज की व्यवस्था को समाप्त करते हुए **Ease of Doing Business** को बढ़ावा मिलेगा।

(14) <u>बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली चीनी मिलों/इकाईयों को छूट/रियायत दिये जाने के सम्बंध में:-</u>

बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2017-18 में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित मा0 बी0आई0एफ0आर0 का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध कराने की बाध्यता चीनी मिल के स्तर पर होगी तथा शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

(15) <u>शीरे पर आधारित लघु इकाईयां, जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में:-</u>

प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 में निहित व्यवस्था के अनुसार, शीरा नियंत्रक के स्तर से शीरा सत्र 2017-18 में किया जाएगा।

(16) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि शीरा नीति के किसी बिन्दु से विचलन के प्रकरण में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिसके संदर्भ में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। शीरा वर्ष 2017-18 हेतु प्रमुख सचिव आबकारी विभाग की अध्यक्षता में शीरा विचलन समिति निम्नवत् गठित की जाती है:-

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	-- अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	-- सदस्य।
(3)	प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	-- सदस्य।
(4)	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	-- सदस्य।
(5)	विशेष सचिव, आबकारी विभाग।	-- सदस्य/संयोजक।

विशेष आमंत्री के रूप में आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in ...

(17) आगामी शीरा नीतिः-

शीरा नीति 2017-18 तब तक यथावत प्रभावी रखी जानी जाएगी, जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

(18) बी-हैवी मोलासेसः-

उपरोक्तानुसार निर्धारित की जाने वाली शीरा नीति चीनी मिलों में उत्पादित होने वाले बी-हैवी मोलासेस पर भी लागू होगी।

(19) लम्बित वादः-

शीरा नीति 2017-18 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0(सी0) नं0 29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(20) शीरा निर्यात के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के साथ एम0ओ0यूः-

प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य स्थित रासायनिक इकाईयों को रेसीप्रोकल आधार पर शीरा निर्यात के सम्बन्ध में शर्तों एवं प्रतिबंधों का निर्धारण करते हुये 03 वर्ष के लिये एम0ओ0यू0 निष्पादित करने हेतु मा0 आबकारी मंत्री जी को अधिकृत किया गया है। एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य स्थित कोई भी शीरा/ अल्कोहल की रासायनिक इकाई शीरा क्रय हेतु आवेदन दे सकती है।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://...